

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/ संस्था /बी-1 / 45001 /प्र0अ0 /स्था/ 2019 दिनांक 28.09.2019 द्वारा श्री मदन लाल शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जारोली, पीपेरा, जिला धौलपुर का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिकरोदा, जिला धोलपुर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री मदन लाल शर्मा द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3210/2019 मदन लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3210/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री मदन लाल शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के कैंसर रोग से पीडित होने एवं उनकी नियमित देखभाल की आवश्यकता होने के मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राजकीय माध्यमिक विद्यालय जारोली, पीपेरा, जिला धौलपुर में यथावत रखे जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के क्रम में धौलपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है। किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1993 एस0सी02486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री मदन लाल शर्मा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/मदन लाल शर्मा/3210/2019 दिनांक:27.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
  4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धोलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री मदन लाल शर्मा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 3 दिवस में इस कार्यालय के विभागीय जॉच प्रथम अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
  5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, धोलपुर।
  6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
  7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
  8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
  9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  10. श्री मदन लाल शर्मा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाध्यापक।
  11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)